

उ0प्र0पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
ई-निविदा सूचना

अनुभवी कार्यदायी संस्थाओं से निम्नलिखित ई-निविदा दो भागों में निर्धारित तिथि को 12:00 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं जो अगले दिन 15:00 बजे खोली जायेगी। विस्तृत विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशन के उपरान्त ई-टेंडर की बेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा तथा अन्य किसी भी प्रकार के संशोधन/तिथि विस्तार हेतु निविदा खुलने की तिथि तक लॉग ऑन करें। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा:-

- ईटीसी-36/2022-23/अल्पकालीन :-132 के0वी0 उपकेन्द्र बौनेर पर पुराने जी0पी0एस0 के स्थान पर नये जी0पी0एस0 की आपूर्ति एवं स्थापना। निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि/निर्धारित तिथि-रु0 590/2000/13.01.2023
- ईटीसी-37/2022-23/अल्पकालीन :-विद्युत पारेषण खण्ड-प्रथम, एवं विद्युत 400 के0वी0 उपकेन्द्र खण्ड अलीगढ़ के अन्तर्गत 400 एवं 132 के0वी0 लाइनों का ड्रोन द्वारा स्केनिंग/पैट्रोलिंग कार्य। निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि/निर्धारित तिथि-रु0 1180/6000/13.01.2023
- ईटीसी-38/2022-23/:-उपखण्ड अधिकारी, सारसौल अलीगढ़ को डीजल चालित वाहन मय ड्राइवर (09 माह) उपलब्ध कराने हेतु। निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि/निर्धारित तिथि-रु0 590/2000/30.01.2023
- ईटीसी-39/2022-23/:-उपखण्ड अधिकारी, अतरौली, अलीगढ़ को डीजल चालित वाहन मय ड्राइवर (09 माह) उपलब्ध कराने हेतु। निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि/निर्धारित तिथि-रु0 590/2000/30.01.2023
- ईटीसी-40/2022-23/:-अधिकासी अभियन्ता द्वितीय, अलीगढ़ को डीजल चालित वाहन मय ड्राइवर (09 माह) उपलब्ध कराने हेतु। निविदा शुल्क/धरोहर धनराशि/निर्धारित तिथि-रु0 590/2000/30.01.2023
- ईटीसी-41/2022-23/:-पारेषण क्षेत्र आगरा के अधीनस्थ विभिन्न खण्डों में क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने सम्बन्धित आपातकालीन कार्यों हेतु फर्मों की सूचीबद्धता। निविदा शुल्क/निर्धारित तिथि रु0 1180/30.01.2023
- ईटीसी-42/2022-23/:-पारेषण क्षेत्र आगरा के अधीनस्थ विभिन्न खण्डों में नये उपकेन्द्रों के निर्माण सम्बन्धी विद्युतीय ले-आउट ड्राईंग/अर्थ रेजिस्टिविटी कार्यों हेतु फर्मों की सूचीबद्धता। निविदा शुल्क/निर्धारित तिथि रु0 1180/30.01.2023

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, लाल डिग्गी, अलीगढ़ ।
राष्ट्र हित में बिजली बचायें, विद्युत चोरी की सूचना “www.igpowerup.org”

उपरोक्त विवरण ही प्रकाशित कराया जाये निम्न नाम, पदनाम एवं मुहर का प्रकाशन न कराया जाये ।


अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत पारेषण मण्डल
अलीगढ़ ।
Superintending Engineer
Electricity Transmission Circle
Aligarh

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत पारेषण मण्डल
लाल डिग्गी, अलीगढ़-202001 मो०-9458096500
(CIN-U40101UP2004SGCO28687)

प्रथम प्रति/द्वितीय प्रति

E-mail-setaligr@upptcl.org
GSTIN09AAACU8823E1Z9
TAN No. AGRE10289G

पत्रांक-2079 -वि.पा.मं.(अ)/टी-30

दिनांक-29.12.2022

विषय:- निविदा प्रकाशन के सम्बन्ध में।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक,
दैनिक हिन्दुस्तान
अलीगढ़।

विज्ञापन व्यवस्थापक,
टाइम्स ऑफ इण्डिया,
दिल्ली एडिशन।

विज्ञापन व्यवस्थापक,
इंडियन एक्सप्रेस,
नई दिल्ली।

- कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित समाचार पत्र में 30 अथवा 31 दिसम्बर, 2022 के अंक में कम से कम स्थान में हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिए 8-10 प्वाइन्ट टाइप में (समाचार पत्र के केवल एक कालम में) प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैडिंग व नीचे का नाम व पता यथा सम्भव एक ही लाइन में रनिंग मेटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।
- 1- स्थानीय प्रकृति की सूचनाएँ जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपमोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथासम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
 - 2- प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाचकर प्रतियाँ संलग्न करते हुए भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
 - 3- संलग्न विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में हिन्दी भाषा में तथा हिन्दी समाचार पत्र में केवल हिन्दी भाषा में किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के लिए संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाये जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
 - 4- विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतः एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - 5- यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इसकी सूचना देने का कष्ट करें।
 - 6- विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाइप में राष्ट्र हित में बिजली बचाएँ का नारा तथा इस विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य प्रकाशित करें।
 - 7- उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भ्रमदायक से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में परिषद द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान निरस्त किया जा सकता है।
- संलग्नक: (1) विज्ञापन आदेश प्रथम एवं द्वितीय प्रति।
(2) विज्ञापन सामग्री - 2 नं०।

पत्रांक - 2079 /वि०पा०मं(अ)/टी-30

तद दिनांक 29.12.22

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य अभियन्ता(पारेषण दक्षिण), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, आगरा
- 2- उपमुख्य लेखाधिकारी(पा०द०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, आगरा
- 3- अधिशासी अभियन्ता, विद्युत पारेषण खण्ड, प्रथम/द्वितीय/विद्युत 400 के०वी० उपकेन्द्र खण्ड अलीगढ़।
- 4- नोटिस बोर्ड
- 5- निविदा पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Transmission Circle
Aligarh

अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Transmission Circle
Aligarh